

# विश्वास संस्थान, रायबरेली उ०प्र०

## वार्षिक प्रगति आख्या वर्ष 2021-22

**प्रस्तावना** – विश्वास संस्थान की स्थापना वर्ष 1996-97 में जनपद रायबरेली के ग्राम जनेवा कटरा में की गयी। संस्थान का पंजीकरण वर्ष 1998-99 में की गयी। संस्थान का प्रशासनिक कार्यालय जनपद मुख्यालय रायबरेली में स्थापित है। संस्थान ने अपनी लगन, मेहनत एवं कर्मठता से जनपद एवं अन्य जिलों में ख्याति प्राप्त की। संस्थान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्साही, विकासशील, नैतिक, चारित्रिक युवक एवं युवतियों के सहयोग से प्रयासरत है।

### 1. बकरी आजीविका एवं संबर्धन परियोजना – यह परियोजना नाबार्ड के सहयोग से जनपद के

ब्लॉक सतांव व अमावां के 10-10 गांवों में संचालित की जा रही है। परियोजना के प्रथम चरण में सर्वे कार्य के पश्चात सभी गांवों में पशुसखियों का चयन व प्रशिक्षण किया गया। परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण व अति पिछड़े क्षेत्र बकरी पालकों को बकरी पालन परियोजना से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्नत नस्ल की बकरी को पालने पर जोर दिया गया। बकरियों की देखरेख हेतु बकरी पालकों को प्रशिक्षण दिया गया। तत्पश्चात बाजार से उन्नत नस्ल की बकरियां खरीदवाया गया। साथ ही साथ बकरी पालकों को बाजार का क्षेत्रभ्रमण करवाया गया। बकरियों के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत देसी बकरों का बधियाकरण किया गया व बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान किया गया। समय समय पर सभी गांवों में टीकाकरण व मौसमी बीमारियोंसे बचाव हेतु पशुसखियों के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करायी जा रही है।



### 2. योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा जागरूकता कार्यक्रम – वैदिक काल से ही योग का व्यापक प्रभाव रहा है। पौराणिक ग्रन्थों में भी योगा और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व को विस्तृत वर्णन है। आज की भागदौड़ की जिन्दगी में कम होता जा रहा है। जिसकी जगह पर एलोपैथ दवाओं पर लोगों का विश्वास जमता जा रहा है। जबकि यह दवाएं लोगों को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही और भी कई रोग पैदा कर देती है। लोगों में योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा की जागरूकता लाने के लिए जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचन्दपुर के गांव गंगागज एवं लालपुर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान डा० भगवानदीन, ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापिका, आँगनबाड़ी, सहायिका एवं गाँव के महिला, पुरुष एवं युवक उपस्थिति रहे। डा० भगवानदीन ने बताया कि योगा हमारे शरीर को मजबूत, लचीला, त्वचा में चमक, शान्तिपूर्ण मन एवं अच्छा स्वास्थ्य देता है। हम लोग यह नहीं जानते हैं कि योग शारीरिक, मानसिक रूप से तथा श्वसन में लाभ देता है। योग हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्राकृतिक चिकित्सा की जागरूकता से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अन्तर्गत

एक्यूप्रेसर एवं हमारी दैनिक उपभोग की वस्तुओं से ही रोग को ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार के उपचार से हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है और शरीर के साथ ही साथ मन भी स्वस्थ होता है जिससे हम अपने मे एक उर्जा महसूस करते हैं।

### 3. काष्ठ शिल्प एवं सजावटी सामान विकास परियोजना – वर्ष 2021 से भारत सरकार के सूक्ष्म



लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) मंत्रालय द्वारा स्फूर्ति परियोजना जनपद रायबरेली में संचालित की जा रही है। परियोजना के प्रथम वर्ष में काष्ठ शिल्प एवं सजावटी सामान बनाने का प्रशिक्षण देने व उनको रोजगार से जोड़ने हेतु जनपद रायबरेली के 11 गांवों के 659

शिल्पकारों/कारीगरों का चयन किया गया। परियोजना का उद्देश्य पारंपरिक ढंग से काम कर रहे उद्योगों में लगे कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ –साथ कारीगरों को बेसिक उपकरणों एवं सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। लकड़ी कारीगरों को आधुनिक मशीनों के द्वारा कार्य करने हेतु प्रशिक्षण देना है जिससे कारीगर कम समय में आधुनिक एवं आकर्षक सजावटी सामान बनाकर अधिक से अधिक आर्थिक लाभ अर्जित कर सके। परियोजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान लकड़ी डिजाइनिंग पर क्षमतावृद्धि प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के लकड़ी के प्रोटोटाइप, आनलाइन विपणन आदि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां व प्रशिक्षण आयोजित किये गये।



### 4. समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम— बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड यूनिट रायबरेली के सामाजिक

उत्तरदायित्व से संचालित समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के अमावां ब्लाक में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियां की जा रही है। परियोजनान्तर्गत चयनित गांवों में अति गरीब परिवारों की संख्या अत्यधिक है। सुविधाओं से वंचित इन गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा की जागरूकता नहीं है। लोगों जागरूक करने व समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए गांवों में स्वास्थ्य शिविर, सिलाई प्रशिक्षण, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मातृत्व सुरक्षा





के सम्बन्ध में आंगनबाड़ी व आशा बहुओं के साथ बैठक, किचेन गार्डन आदि गतिविधियां आयोजित की गयी । इन कार्यक्रमों से चयनित समस्त गांव के लाभार्थियों को संतुष्ट किया गया ।

5. **गर्ल आइकन एवं कम्युनिटी इन्टरवेंशन कार्यक्रम** – मिलान फाउन्डेशन के सहयोग से यह परियोजना विगत 5 वर्षों से बालिकाओं को अपने लक्ष्य एवं आकांक्षाएँ, शिक्षा का महत्व, लिंग



भेदभाव, पेशा एवं व्यवसाय, माहवारी, कानूनी सुरक्षा, पोषण, यौन संचारित संक्रमण आदि के बारे जागरूक करने हेतु संचालित किया जा रहा है। जनपद के विकास खण्ड सतांव के ग्राम सुल्तानपुरखेड़ा व आसपास के कई छोटे-छोटे गांव से पूर्व में चयनित 110 किशोरी बालिकाओं को बैठकों के माध्यम से विगत वर्षों से लगातार जागरूक किया जा रहा है।

किशोरियों के छोटे-छोटे समूह बनाकर माह में दो से तीन बैठकें आवश्यकतानुसार की जाती है जिसमें किशोरियों से सम्बन्धित विषयों पर समझ विकसित की जाती है। इसके उपरान्त चयनित समस्त किशोरियां अपने आस-पास की समस्या को लेकर सोशल एक्शन कार्यक्रम करती है जिससे पूरे गांव की बालिकाओं एवं अन्य लोगों में जागरूकता आती है। इस कार्यक्रम में अभी तक 1000 बालिकाओं को जोड़कर सशक्त किया गया है।

6. **पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम** – आज के मशीनरी युग में सभी लोग इनके प्रत्यक्ष लाभ की

गणना करते हैं किन्तु परोक्ष रूप से उससे होने वाले नुकसान के बारे में अनभिज्ञ हैं। जबकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। जनपद रायबरेली के विकास खण्ड राही के गाँव जमालपुर एवं कुचरिया में पर्यावरण की जागरूकता हेतु रैली व बैठकों का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गयी कि अपने



आस पास का वातावरण साफ रखें, बच्चों से स्वच्छ वातावरण से होने वाले लाभ से सम्बन्धित नारे लगवाये गये, पेड़ों व जंगलों के कटान, घरों में फ्रिज व एसी, वाहनों के धुएँ से, गाड़ियों के शोर आदि से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे विस्तार से बताकर लोगों को जागरूक किया गया। चयनित गांवों में बैठक करके लोगों को बताया गया कि शौच के लिए बाहर न जाए घर पर शौचालय का प्रयोग करें। अपने गाँव के आस-पास गन्दगी न करें। गाँव के अन्दर पशुओं का गोबर एवं कचरा नहीं डालना चाहिए। बैठक में प्रधान, आंगनबाड़ी, आशाबहू, शिक्षक एवं संस्थान प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

7. **शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम** – शिक्षित समाज से ही उन्नत देश की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। आधुनिक समाज में चाहे स्त्री हो या पुरुष समानरूप से उच्च शिक्षित होना चाहिए। एक शिक्षित माता पिता ही अपने परिवार को समुचित रूप से मार्गदर्शन दे सकते हैं। ग्रामीण परिवेश आज भी लोगों में लडकियों को उच्च शिक्षा दिलाना अच्छा नहीं समझा जाता। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बालिकाओं को माध्यमिक स्तर तक ही पठाया जाता है जो कि न के बराबर होता है हमें बालिकाओं को भी उच्च शिक्षा देना चाहिए जिससे वह आगे चलकर अपना परिवार बेहतर तरीके से चला सके। जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचन्दपुर के गांव खुचुमा एवं गंगागज में गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों के अभिभावक, प्रधान एवं अध्यापकों के साथ चर्चा की गयी इसके साथ ही साथ राजकीय इण्टर कालेज में छात्रों द्वारा तैयार किये गये मॉडलों की प्रदर्शनी लगवायी गयी जिसमें जनपद मुख्यालय के 4 विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया।



8. **महिला एवं बच्चों का अधिकार जागरूकता कार्यक्रम** – हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं वर्तमान समय में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। हमारा समाज पुरुष प्रधान है जिसके कारण प्रायः महिलाओं को स्वतंत्र होकर कार्य करने का अधिकार नहीं होता है। भारतीय परिवेश में महिलाओं में शिक्षा का बहुत अभाव है कम शिक्षित या अशिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों को नहीं समझती जबकि संविधान में महिलाओं को विशेषाधिकार दिया गया है। सरकार ने कानून में महिलाओं के अधिकार बनाए हैं किन्तु जागरूकता के अभाव में महिलाओं प्रताड़ित और शोषण का शिकार होती रहती है कानून की मदद नहीं लेती है। महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए संस्थान ने जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ के गांव ओसाह एवं शिवली में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी गांव के विद्यालय में की गयी जिसमें गांव निवासी, स्थानीय पुलिस प्रसाशन के लोग, प्रधान, आंगनबाड़ी, आशाबहू और अध्यापक अध्यापिकाओं ने अपने विचार रखे। इसी क्रम में बच्चों के अधिकारों के बारे में बताए हुए कहा कि संविधान में बाल श्रम को लेकर विशेष प्रावधान है। 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों को किसी व्यवसायिक गतिविधि अथवा मजदूरी आदि से जोड़ना एक अपराध माना



जाता है। गोष्ठी के माध्यम से आम जनमानस को बताया गया कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार सर्वोपरि है लड़का हो या लड़की उन्हें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दे। कम उम्र के बच्चों को कारखाना, होटल या अन्य दुकानों पर कार्य के लिए न लगाएं।

9. **सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम** – आज के समय में वाहनो का प्रयोग बहुतायत होने लगा है। सड़कों पर वाहनों की बहुत भीड़ होती है। इसी क्रम में वाहन दुर्घटनाएं आम हो गयी है।

भारत सरकार के प्रमाणित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुई मृतकों की संख्या 1,31,714 व घायलों की संख्या 3,48,279 रही। सड़क सुरक्षा आम नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। अधिकतर देखा गया है कि सड़क पर अधिकतर दुर्घटना यातायात के नियमों का पालन न करने पर होती है। आम जनता में खास तौर से नए युवा वर्ग के लड़के एवं लड़कियों में जागरूकता लाने के लिए स्कूल एवं कालेज के बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी गयी। यह कार्यक्रम संस्थान ने विकास खण्ड राही के चार स्कूलों में किया। ग्राम बंदीपुर, सन्दीनागिन, राही, मधुपुरी के स्कूल के बच्चों के साथ जानकारियाँ दी गयी एवं पम्पलेट बाटे गए-



1. सड़क पर चलने वाले सभी लोगों को अपने बाँये तरफ ही चलना चाहिए खासतौर पर गाड़ी चलाने वाले को भी और दूसरी तरफ से आ रहे वाहन को जाने देना चाहिए।
2. साइकिल से जाने वाले बच्चों को साइकिल चलाते समय दोस्तों से बात नहीं करनी चाहिए पूरा ध्यान सड़क पर आने जाने वाले साधनों पर होना चाहिए।
3. साइकिल या दोपहिया बाहन की गति बहुत तेज नहीं होनी चाहिए जब वह भीड़ वाले स्थान पर हो।
4. सभी वाहनों को दूसरे वाहनों से निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
5. रेलवे कासिंग पर गेट बन्द होने पर नहीं निकलना चाहिए।
6. कोई भी वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात नहीं करनी चाहिए।

यदि हम सभी सड़क यातायात के नियमों का ध्यान रखे तो बहुत दुर्घटनाएं कम हो सकती है। अपनी एवं दूसरों की जिंदगी को सुरक्षित रखना हमारा पहला कर्तव्य है।

10. **कृषि एवं औषधीय पौधों की जागरूकता कार्यक्रम** – उत्तर प्रदेश का अधिकतर भूभाग सिंचित श्रेणी मे आता है तथा कृषि आधारित क्षेत्र भी है। यहां पर 65 प्रतिशत आबादी की आय कृषि पर निर्भर करती है। किसानों की मुख्य आजीविका खेती है। किसान प्रत्येक मौसम के अनुसार फसल प्राप्त करता है। लगातार खेती करने से किसान परम्परागत खेती करते रहते है। जिससे फसल धीरे-धीरे कम हो जाती है। किसानों को लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी हेतु संस्थान ने जनपद रायबरेली के विकास खण्ड खीरों के ग्राम



बसिगवां एवं बेहटा सातनपुर में कृषि वैज्ञानिक गोष्ठी की गयी। गोष्ठी में कृषि से सम्बन्धित जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र के डा0 कनौजिया जी को बुलाया गया। डा0 कनौजिया ने किसानों को आधुनिक ढंग से औषधीय फसलों की खेती से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया। पारम्परिक ढंग से धान या गेहूं की फसलों की खेती करने से ज्यादा लाभ नहीं अर्जित नहीं कर पाते हैं। समय समय पर फसलों में होने वाले रोगों के उपचार के सम्बन्ध में भी विस्तार से बताया गया। डा0 कनौजिया ने मिट्टी की जाँच करवाने के लिए जोर दिया सभी किसानों को अपने खेत की मिट्टी प्रतिवर्ष जाँच करवानी चाहिए जिससे उन्हें अपने खेत की स्थिति की जानकारी होती है। यह जाँच कृषि विभाग में की जाती है। जो किसान खेती से ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह औषधीय पौधों तुलसी, सुगन्धा आदि की खेती करे जिससे उसे बेचकर वह ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। डा0 कनौजिया ने बताया कि औषधीय खेती करने के लिए ज्यादा जानकारी सीमैप, लखनऊ से प्राप्त होगी। सीमैप के अधिकारी का मोबाइल नम्बर सभी किसानों को नोट करवाया गया।



11. **खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विपणन** – बाजार में विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों का नवाचार हो रहा है। महिलाओं एवं बालिकाओं के रुझान को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डीह के 5 गांवों निगोही, गडवा, डेला, कौरापुर गौरा व जगदीशपुर में दिया गया। एक सप्ताह के इस प्रशिक्षण में 200 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के दौरान कई प्रकार के अचार, मुरब्बा, जैम आदि बनाना सिखाया गया। सभी प्रतिभागियों को बने हुए अचार मुरब्बा को पैक करके बाजार में बेचना भी बताया गया। प्रतिभागियों ने बाजार में दुकानों का सर्वे किया और अपने उत्पाद की बिक्री के लिए दुकानदारों को प्रेरित किये।

12. **गरीब एवं जरूरतमंदों की सहायता कार्यक्रम** – यह कार्यक्रम समदासिनी फाउन्डेशन हॉग कॉग के सहयोग से जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया जाता है। समदासिनी फाउन्डेशन प्रत्येक वर्ष छोटी सी रकम जरूरतमंदों के लिए भेजती है। जिससे क्षेत्र में चिन्हित जरूरतों की सहायता में लगाया जाता है। इस वर्ष जनपद के अमावां ब्लाक के ग्राम रसेहता में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में लोगों ब्लड प्रेशर, वजन, खून की जांच, के साथ ही चिकित्सीय परामर्श व निःशुल्क दवा वितरण किया गया। स्वास्थ्य शिविर में गंभीर रूप से बीमार लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेफर किया गया। आयोजन के अगले दिन दवा प्राप्त कर चुके लोगों का फालोअप किया गया तथा उन्हें पुनः निःशुल्क दवाईयां वितरित की गयी। स्वास्थ्य शिविर से 214 लोग लाभान्वित हुए।



13. **स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम** – प्रत्येक नागरिक को अपने आसपास को स्वच्छ और साफ रखना उसका कर्तव्य होता है किन्तु जागरूकता के अभाव में बहुत लोग इस विषय में विचार नहीं करते हैं। सफाई आदि कार्य की जिम्मेदारी न समझ कर अपने घरों अथवा कार्यस्थल के आसपास गंदगी का ढेर लगा देते हैं। जिसका परिणाम गंदगी से संक्रामक रोगों का फैलना शुरू हो जाता है। आजकल विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत निःशुल्क शौचालय निर्माण हेतु धनराशि दी जाती है तथा जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं इसके पश्चात भी गाँवों में रहने वाले लोग घरों में शौचालय का प्रयोग न करके खुले में शौच के लिए जाते हैं। इसके अलावा गाय भैसों का गोबर एवं दैनिक कूड़ा गाँव में डालते हैं जिससे गाँव का वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इस कारण अधिकतर लोग अपनी आमदनी का अधिक हिस्सा बीमारी में खर्च करते हैं। स्वास्थ्य को नुकसान होने से उनका विकास नहीं हो पाता है। संस्थान स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर बैठके करके चर्चा करती रहती है। जनपद रायबरेली के विकास खण्ड राही के ग्राम भांव में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में गाँव के प्रधान एवं गाँव के सभी सम्मानित नागरिक महिलाएं एवं पुरुषों को एकत्रित करके गोष्ठी की गयी। गोष्ठी के दौरान संस्थान के प्रतिनिधि विकास ने बताया कि प्रत्येक घरों में शौचालय का होना अति आवश्यक है। शौचालय घर पर होने से हमारी माँ बहनें, बहू और बेटियाँ सामाजिक दुर्घटना की शिकार नहीं होती है, उन्हें सुरक्षा प्राप्त होती है। साथ ही महिला एवं पुरुष सभी को शौचालय प्रयोग करने से बीमारियाँ नहीं होती है।

14. **मोबाइल एवं घरेलू उपकरण मरम्मत प्रशिक्षण** – आजकल प्रत्येक घर में मोबाइल व घरेलू



इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का बहुतायत प्रयोग हो रहा है। युवकों को रोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए समिति द्वारा मोबाइल रिपेयरिंग, मिक्सर, टेलीविजन, इण्डकशन चूल्हा, इन्वर्टर, कूलर, पंखा आदि का प्रशिक्षण दिया गया। उपरोक्त उपकरणों की रिपेयरिंग प्रशिक्षण प्राप्त करके युवक अपना रोजगार स्थापित कर सकता है। प्रशिक्षण समिति कार्यालय में किया गया जिसमें 40 युवकों ने तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान

जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि को बुलाकर युवकों को जानकारी दी गयी।

15. **उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम** – उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विकास खण्ड ऊंचाहार के 30 गाँवों में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान गाँव की महिलाएँ और पुरुषों ने योगदान दिया। रैली में गाँव के सभी लोग नारे बोलते हुए लोगो का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। ग्राम प्रधान एवं अन्य सम्मानित लोग भी रैली में शामिल रहे। रैली का समापन पंचायत भवन में किया गया जहाँ पर सभी लोग एकत्र होकर आपस में विचार विमर्श किए और अपने विचार प्रस्तुत किए। विषय विशेषज्ञ श्री रोहित मौर्य ने बताया कि किसी भी वस्तु को प्रयोग करने पर गलत पाए जाने का संदेह हो या किसी दुकानदार द्वारा गलत व्यवहार या कीमत में संतुष्ट न होने पर जिले में उपभोक्ता फोरम पर शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता फोरम के माध्यम से उत्पादक, विक्रेता को नोटिस देकर फोरम कार्यालय में बुलाकर प्रश्नोत्त किए जा सकते हैं व इस अधिनियम में जुर्माना या सजा या दोनो का प्रावधान किया गया है।

16. **साफ्ट ट्वायज प्रशिक्षण** – लकडी के सजावटी सामान व साफ्ट टॉयज का चलन शादी, वर्थडे व अन्य कार्यक्रमों अत्यधिक होता है। ग्रामीण बेरोजगारों को व्यवसाय की तरफ प्रेरित करने के लिए लकडी के सजावटी सामान व साफ्ट ट्वायज का प्रशिक्षण अत्यंत उपयोगी है। वर्तमान समय में लोग कुछ काम करके आमदनी करना चाहते हैं। इसलिए समिति ने लकडी के सजावटी सामान व साफ्ट ट्वायज बनाने का प्रशिक्षण ब्लाक सरेनी के सराय खां गांव में किया गया। जिससे जरूरतमंद लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। लकडी के सजावटी सामान साफ्ट ट्वायज बनाने का प्रशिक्षण 25-25 के 2 बैच को दिया गया। जिसमें इस वर्ष 50 लाभार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया व व्यवसाय करना शुरू किया।

17. **मसाले और केले के किसानों हेतु जागरूकता कार्यक्रम** – जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सतौंव में अधिकतर किसान मिर्चा, धनिया व केले की खेती करते हैं और पास की बाजार में बेचते हैं। किसान लगातार एक जैसी ही खेती कर रहे हैं जिसमें वह अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक ने ग्राम-सुल्तानपुर खेड़ा में आकर किसानों को बताया कि मसालों व केले की खेती का आधुनिक तरीका अपनाए तो वह दुगुनी उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसानों ने अपनी समझ बढ़ायी जिससे फसल में लाभ प्राप्त हुआ। कुछ किसान कई वर्ष से लगातार केले की फसल ले रहे हैं जिसमें वह सफल नहीं हो पा रहे हैं वैज्ञानिक ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली केले की फसल लाभ देने वाली होती है।



**आगामी वर्ष हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम**— संचालित कार्यक्रमों के साथ-साथ संस्थान आगामी वित्तीय वर्ष में अन्य विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु प्रयासरत है—

- बकरी पालन अजीविका संवर्धन परियोजना।
- स्वास्थ्य कार्यक्रम (स्वास्थ्य शिविर)।
- काष्ठ शिल्प एवं सजावटी सामान विकास परियोजना।
- स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम।
- कृषि एवं औषधीय पौधों की खेती कार्यक्रम।
- समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
- पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम।
- महिला एवं बच्चों का अधिकार जागरूकता कार्यक्रम।
- सडक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम।
- मसाले और केले के किसानों हेतु जागरूकता कार्यक्रम।
- मोबाइल एवं घरेलू उपकरण मरम्मत प्रशिक्षण।
- खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विपणन।

संस्थान विगत 25 वर्षों से अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निरन्तर प्रयासरत है। हम आपके वांछित सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं।